प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

)अक्तूबर, 2019)

*****

मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियाँ

- अभी तक लगभग 60,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एचडब्ल्यू की रिपोर्ट पर सूचित किया गया है, 31 अक्तूबर, 2019 तक इनमें से 22920 स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों को कार्यशील बनाया जा चुका है।

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् (सीसीएचएफडब्ल्यू) के 13 वें सम्मेलन का आयोजन माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 10-11 अक्तूबर, 2019 तक किया गया था, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया था। सम्मेलन में अन्य के साथ-साथ 14 राज्यों के 15 राज्य मंत्रियों, 4 संसद सदस्यों, 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया था। जन स्वास्थ्य प्रदानगी में सुधार लाने तथा बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति के लिए परिषद् द्वारा 34 संकल्पों का अंगीकरण किया गया।

- मातृ एवं नवजात मौतों को जीरो प्रीवेंटेवल बनाने के लिए सीसएचएसफडब्ल्यू के 13वें सम्मेलन के दौरान 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)' नामक नई पहल, इसकी वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल प्रारंभ किया गया।

- 1 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दान दिवस के अवसर पर, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निर्माण भवन, नई दिल्ली में रक्त दान कैम्प का उद्घाटन किया तथा एम्स, नई दिल्ली में रक्त दान किया। माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने सभी से रक्त दान करने की अपील भी की।

- 2 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा टीबी सील जारी की गई।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल एडवाइजरी परिषद् को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के चयन हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 5 के अनुसार अन्वेषण समिति का गठन किया गया।

- 14 अक्तूबर, 2019 को माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपस्थिति में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और स्वायत्तशासी बोर्डो के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/चिकित्सा परिषदों के प्रतिनिधियों का अंशकालिक सदस्यों के रूप में निर्वाचन किया गया।

- 54 पीजी पाठ्यक्रामों में मान्यता प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी।

- राष्ट्रीय डिजीटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (एनडीएचबी) के लिए रूपरेखा और कार्यान्वयन योजना सृजित करने हेतु गठित समिति ने माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को 29 अक्तूबर, 2019 को अपनी अंतिम संस्तुति/रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 को आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड (प्री-करसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैकनीक अधिनयम, 1994 (पीसी एन्ड पीएनडीटी अधिनियम, 1994) की धारा 7 के तहत गठित) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।

- माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा केंद्र सरकार के अस्पतालों/संस्थानों को प्ररस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार भारतीय पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में 11 अक्तूबर, 2019 को आयोजित समारोह में उच्चतम स्तर की साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ''कायाकल्प स्कीम'' के अंतर्गत प्रदान किए गए। भारीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा 635 निजी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों को भी कायाकल्प प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

- ''हेल्थ डाइट्स फोर जीरो हंगर'' विषय के आधार पर 16 अक्तूबर, 2019 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विविध एफएसएसएआई पहलें शुरू की अर्थात् (i) खाद्य सुरक्षा मित्र स्कीम, (ii) प्रवर्तन स्टॉफ के लिए तकनीकी उपकरण रखने के लिए स्मार्ट डिजाइन वाला जैकेट, (iii) देश भर में घरों में काम करने वालों तथा घेरलू महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और (iv) प्लास्टिक बैग के स्थान पर एक पुन: उपयोग योग्य कपड़े का थैला ''इट राईट झोला''।

- कैफीन मुक्त कॉफी के लिए मानकों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संयोजक) चौथा संशोधन विनियम, 2019 तथा पैकेजड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए मानको में संशोधन दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचित किए गए थे।

- एफएसएसएआई एवं सीमा-शुक्ल अधिकारियों को 150 स्थानों पर (हवाई अड्डों/समुद्री बंदरगाहों/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी/भूमि सीमा-शुल्क केंद्रों (एससीएस)/विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजैड) के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के साथ पठित धारा 25 और खाद्य सुरक्षा मानक (आपात) विनियम, 2017 के विनियम13(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

****